भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3171

जिसका उत्तर 06.08.2026 को दिया जाना है

सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए नकदी रहित उपचार

†3171. श्री बी. के. पार्थसारथी:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आन्ध्र प्रदेश में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना के अंतर्गत पैनलबद्ध अस्पतालों की राज्य-वार और जिला-वार संख्या कितनी है;

(ख) आन्ध्र प्रदेश में इस योजना के प्रारंभ से लेकर अब तक इसके अंतर्गत वर्ष-वार, राज्य-वार, जिला-वार कितने उपचार अनुरोध प्राप्त हुए हैं और कितने को अनुमोदित किया गया है;

(ग) आन्ध्र प्रदेश में इस संबंध में राज्य-वार और जिला-वार कितने दावे प्रस्तुत किए गए हैं और कितने मामलों में इस योजना के अंतर्गत मुआवजा प्रदान किया गया अथवा जारी किया गया है;

(घ) आन्ध्र प्रदेश में राज्य-वार और जिला-वार कितने अस्पतालों ने संबंधित राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों (एसएचए) को प्रतिपूर्ति के दावे प्रस्तुत किए हैं और ऐसे दावों की प्रतिपूर्ति की गई संख्या कितनी है ;

(ङ) क्या इस योजना के अंतर्गत दावों के निपटारे, अनुमोदन या प्रतिपूर्ति में कोई विलंब पाया गया है; यदि हां, तो दावों के निपटान में औसतन कितना समय लगता है, विलंबित दावों की संख्या कितनी है और ऐसे विलंब के क्या कारण हैं; और

(च) इस योजना के कार्यान्वयन और दावों के समय पर निपटान के लिए कौन सा निगरानी और शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया गया है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) दिनांक 4 जून, 2025 को का.आ. 2489 (अ) के तहत अधिसूचित योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) के अंतर्गत पैनलबद्ध अस्पताल जो इस योजना के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हैं, योजना के प्रयोजनों के लिए नामित अस्पताल माने जाएंगे।

इस प्रकार, आंध्र प्रदेश राज्य में एबी पीएम-जेएवाई के तहत कुल 2,471 अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है। इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एनएचए द्वारा दिनांक 20 मई 2025 के का.ज्ञा. एस-12018/81/2024 के माध्यम से जारी विस्तृत दिशानिर्देशों के आधार पर अतिरिक्त अस्पतालों को नामित करने और सूचीबद्ध करने की सलाह दी जाती है।

(ख) दिनांक 13.02.2026 को राष्ट्र व्यापी स्तर पर योजना शुरू होने के बाद से दिनांक 31.07.2026 तक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) की लेन-देन प्रबंधन प्रणाली (टीएमएस) पोर्टल पर अस्पतालों ने कुल 635 योग्य मामले पंजीकृत किए हैं। ज़िला-वार विवरण **अनुलग्नक-I** के रुप में संलग्न है। इसके अतिरिक्त, योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, ज़िला पुलिस अधिकारियों ने इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट (ई-डीएआर) पोर्टल पर 115 मामले अयोग्य लाभार्थियों के रुप में चिन्हित किए हैं।

(ग) से (ङ) 31.07.2026 तक, जब से यह योजना पूरे देश में लागू हुई है, आंध्र प्रदेश के 13 जिलों के 33 अस्पतालों द्वारा पीएम-राहत योजना के तहत कुल 206 दावे दायर किए गए हैं। इनमें से चार अस्पतालों द्वारा प्रस्तुत 27 दावों का निपटारा किया जा चुका है। जिलावार विवरण अनुलग्नक-II में संलग्न है।

पीएम-राहत योजना के तहत अस्पतालों को उपचार उपलब्ध कराने, दावों के प्रसंस्करण और भुगतान में होने वाली देरी को कम करने के लिए समयबद्ध प्रक्रियाएं और स्पष्ट रूप से परिभाषित जिम्मेदारियां निर्धारित की गई हैं। भर्ती होने पर उपचार शुरू किया जाता है और एकीकृत लेनदेन प्रबंधन प्रणाली (टीएमएस) 2.0 और ई-डार प्लेटफॉर्म के माध्यम से पुलिस प्रमाणीकरण समानांतर रूप से किया जाता है। डिस्चार्ज होने के बाद, अस्पताल टीएमएस 2.0 के माध्यम से डिजिटल रूप से सत्यापन और अनुमोदन के लिए राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (एसएचए) को अपना दावा प्रस्तुत करता है। अस्पतालों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए, जिला कलेक्टरों या जीआई परिषद को भुगतान करने के लिए, जैसा भी मामला हो, एसएचए द्वारा दावा स्वीकृत होने की तिथि से 10 दिनों की अवधि निर्धारित की गई है। निर्धारित समय के बाद, दावा स्वीकृत मान लिया जाएगा।

(च) मोटर यान अधिनियम (एमवी अधिनियम), 1988 की धारा 215(2) के तहत गठित राज्य सड़क सुरक्षा परिषद (एसआरएससी) संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी होगी। जिले में योजना के कार्यान्वयन की समग्र निगरानी और समन्वय की जिम्मेदारी मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 215(3) के तहत गठित जिला सड़क सुरक्षा समितियों (डीआरएससी) की होगी। राष्ट्रीय स्तर पर, एक अंतर-मंत्रालयी संचालन समिति, योजना के समग्र कार्यान्वयन और निगरानी की देखरेख करती है, जिसमें कार्यान्वयन के दौरान उत्पन्न होने वाले मुद्दों की समीक्षा भी शामिल है।

योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, योजना के कार्यान्वयन से उत्पन्न शिकायतों के निवारण के लिए प्रत्येक जिले में जिला सड़क सुरक्षा समिति द्वारा एक समर्पित शिकायत निवारण अधिकारी (जीआरओ) नियुक्त किया जाना होता है। यदि आवेदक समाधान से संतुष्ट नहीं है, या यदि इसमें देरी होती है, तो शिकायत को जिला कलेक्टर के समक्ष और उसके बाद राज्य सड़क सुरक्षा परिषद के समक्ष उठाया जा सकता है, जो अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करती है। अस्पताल में भर्ती, उपचार और अस्पताल के दावों के निपटान से संबंधित शिकायतों के लिए अस्पतालों के लिए एनएचए हेल्पलाइन 14588 भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक-I

सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए नकदी रहित उपचार के संबंध में श्री बी. के. पार्थसारथी द्वारा दिनांक 06.08.2026 को पूछे गए लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 3171 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

क्र.सं.	ज़िला	अनुमोदित	निर्धारित समय सीमा के भीतर पुलिस से कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर योजना से बाहर कर दिया गया।	कुल
1	गुंटूर	54	40	94
2	तिरुपति	11	56	67
3	कुरनूल	18	42	60
4	काकीनाडा	48	5	53
5	चित्तूर	38	14	52
6	प्रकाशम	25	7	32
7	श्री पोट्टी श्रीरामुलु नेल्लोर	24		24
8	विशाखापत्तनम	4	20	24
9	श्रीकाकुलम	12	11	23
10	अनंतपुरम	20	3	23
11	विजयनगरम	13	10	23
12	पलंडू	20	3	23
13	एलुरु	21	1	22
14	नांदयाल	11	6	17
15	वाईएसआर	11	3	14
16	डॉ. बी.आर. अंबेडकर कोनासीमा	14		14
17	श्री सत्य साई	6	5	11
18	अल्लूरी सीताराम राजू	8	1	9

19	पूर्वी गोदावरी	8		8
20	एनटीआर	7	1	8
21	अन्नमय्या	2	5	7
22	अनकापल्ली	6	1	7
23	पार्वतीपुरम मन्याम	2	4	6
24	कृष्ण	3	2	5
25	बापतला	2	3	5
26	पश्चिम गोदावरी	3	1	4
	कुल	**391**	**244**	**635**

अनुलग्नक II

सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए नकदी रहित उपचार के संबंध में श्री बी. के. पार्थसारथी द्वारा दिनांक 06.08.2026 को पूछे गए लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 3171 के भाग (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

क्र.सं.	ज़िला	उठाए गए दावों की संख्या	जिन अस्पतालों के खिलाफ दावे उठाए गए हैं	निपटाए गए दावों की संख्या	जिन अस्पतालों के दावों का निपटारा हो चुका है
1	अनंतपुर	1	1	0	0
2	चित्तूर	30	6	2	1
3	पूर्वी गोदावरी	41	2	0	0
4	गुंटूर	42	7	0	0
5	कोनासीमा	6	1	3	1
6	कृष्ण	4	1	0	0
7	कुरनूल	33	2	15	1
8	प्रकाशम	9	2	0	0
9	एसपीएसआर नेल्लोर	7	2	0	0
10	विशाखापत्तनम	13	3	7	1
11	विजयनगरम	10	2	0	0
12	पश्चिम गोदावरी	7	2	0	0
13	वाईएसआर	3	2	0	0
	कुल योग	**206**	**33**	**27**	**4**
